रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24062026-273797
**CG-DL-E-24062026-273797**

**असाधारण**
**EXTRAORDINARY**

**भाग III—खण्ड 4**
**PART III—Section 4**

**प्राधिकार से प्रकाशित**
**PUBLISHED BY AUTHORITY**

| | |
|---|---|
| **सं. 418]** | **नई दिल्ली, बुधवार, जून 24, 2026/आषाढ 3, 1948** |
| **No. 418]** | **NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 24, 2026/ASHADHA 3, 1948** |


**भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण**

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 23 जून, 2026

**फा. सं. आरईजी-11013/1/2026-विनियमन- एफएसएसएआई.—**खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 92 की उपधारा (1) के अधीन अपेक्षित रूप से प्रकाशित किए जाने हेतु खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारबार का अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण) संशोधन विनियम, 2026 का प्रारूप, अधिसूचना संख्या फा. सं. आरईजी -11013/1/2026-विनियमन एफएसएसएआई-, तारीख 23 जनवरी, 2026 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में तारीख 27 जनवरी, 2026 को प्रकाशित किया गया था, जिसमें उक्त प्रारूप विनियमों से प्रभावित होने की संभावना रखने वाले व्यक्तियों से, उस तारीख से जिस दिन उक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध कराई गई थीं, तीस दिनों की अवधि की समाप्ति से पूर्व, आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और , उक्त अधिसूचना की प्रतियां 27 जनवरी, 2026 को जनता के लिए उपलब्ध करा दी गई थीं;

और , उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विचार कर लिया गया है;

अतः, अब, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 31 के साथ पठित धारा 92 की उपधारा (2) के खंड (ण) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारबार का अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन विनियमों का नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारबार का अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण) द्वितीय संशोधन विनियम, 2026 होगा।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारबार का अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2011 में,—

(क) अनुसूची 2 में, उपाबंध-3 में, "अनुज्ञप्ति की शर्तें" शीर्षक के अधीन, क्रम संख्या 8 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"8. उत्पादन और कच्ची सामग्री के उपयोग का दैनिक अभिलेख पृथक रूप से संधारित करें :

परंतु यह कि यह शर्त गैर-विनिर्माण खाद्य कारबार पर लागू नहीं होगी।;

(ख) अनुसूची 4 में, भाग- 2 में, "अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करने वाले सभी खाद्य कारोबार संचालकों द्वारा अनुपालित की जाने वाली स्वच्छतामूलक और स्वास्थ्यकर पद्धतियों संबंधी सामान्य अपेक्षाएँ" शीर्षक के अधीन, "खाद्य प्रचालन और नियंत्रण" उपशीर्षक में, पैरा 5.2.5 के स्थान पर निम्नलिखित अपेक्षा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"5.2.5 कच्ची सामग्री, संघटक पदार्थों, प्रक्रियाधीन सामग्री और प्रसंस्कृत अथवा पकाए गए अथवा पैक किए गए खाद्य उत्पादों का भंडारण 'प्रथम आगत-प्रथम निर्गत' और 'प्रथम समाप्ति-प्रथम निर्गत' सिद्धांतों के अनुसार किया जाएगा; औरपि यह उपबंध खुदरा विक्रेताओं पर लागू नहीं होगा।"

राजित पुनहानी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./187/2026-27]

**टिप्पण:—** खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारबार का अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2011, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना संख्या फा. सं. 2-15015/30/2010, तारीख 1 अगस्त, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या फा. सं. आरसीडी-01002/1/2021-विनियामक-एफएसएसएआई-भाग(1), तारीख 10 मार्च, 2026 द्वारा किया गया था।

## FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

## NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd June, 2026

**F. No. REG-11013/1/2026-Regulation-FSSAI.—**Whereas a draft of the Food Safety and Standards (Licensing and Registration of Food Businesses) Amendment Regulations, 2026, was published as required under sub-section (1) of section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) *vide* notification number F.No. REG-11013/1/2026-Regulation-FSSAI, dated the 23rd January, 2026, in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, section 4,dated the 27th January, 2026, inviting objections and suggestions from the persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas the copies of the said notification were made available to the public on the 27th January, 2026;

And whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft regulations have been considered by the Food Safety and Standards Authority of India;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (o) of sub-section (2) of section 92 read with section 31 of the Food Safety and Standards Act, 2006(34 of 2006) the Food Safety and Standards Authority of India, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Food Safety and Standards (Licensing and Registration of Food Businesses) Regulations, 2011, namely: -

1. (1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Licensing and Registration of Food Businesses) second Amendment Regulations, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Food Safety and Standards (Licensing and Registration of Food Business) Regulations, 2011,-

(a) in Schedule 2, in Annexure 3 under the heading of Conditions of License, for serial number 8 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

"8. Maintain daily records of production, raw materials utilization separately:

Provided that this condition shall not be applicable to non-manufacturing food businesses.";

(b) in Schedule 4, in Part-II, in heading of General Requirements on Hygienic and Sanitary Practices to be followed by all Food Business Operators applying for License, under sub-heading FOOD OPERATIONS AND CONTROLS, for paragraph 5.2.5, the following requirement shall be substituted, namely:-

"5.2.5 The storage of raw materials, ingredients, work-in-progress and processed or cooked or packaged food products shall be subjected to First in First out, First Expire First Out, which shall not be applicable to retailers.".

RAJIT PUNHANI, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./187/2026-27]

**Note:-** The Food Safety and Standards (Licensing and Registration of Food Business) Regulations, 2011 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, vide number F. No. 2-15015/30/2010, dated the 1st August, 2011 and last amended vide notification number F. No. RCD-01002/ 1/ 2021-Regulatory-FSSAI-Part(1), dated 10th March, 2026.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA